न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

पीठासीन अधिकारी दिनेश शर्मा आर0ए0एस

मुकदमा नं0 06/2025

1. शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 विशनलाल
2. अल्पना
3. अंजना — पुत्रीयान स्व0 विशनलाल
4. चन्द्रशेखर
5. अमित — पिसरान स्व0 विशनलाल जातियान वैश्य निवासीयान परेही तहसील जुरहरा जिला डीग हाल निवासी कल्याण मौहल्ला कामाँ (डीग)

प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील जुरहरा जिला डीग राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री अमित कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट

निर्णय

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

दिनांक :— 24/01/2025

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि आराजी मुतदाविया साविक खसरा नम्बर 342 मिन/2.43 हैक्टर नया खसरा नम्बर 467 बांके ग्राम परेही तहसील जुरहरा में स्थित है। आराजी मुतदाविया प्रार्थीगण के पिता व पति विशन लाल पुत्र मोतीलाल जाति वैश्य निवासी परेही की खातेदारी की आराजी थी विशन लाल ने आराजी मुतदाविया को जरिये बयनामा मुस0 सुगडी से खरीद किया था विशन लाल की मृत्यु दिनांक 26/01/2017 को हो चुकी है। प्रार्थी संख्या—1 विशन लाल की पत्नी है प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 विशनलाल की पुत्रीयां है प्रार्थीगण संख्या 4 व 5 विशन लाल के पुत्र हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के दिनांक 07/07/2011 के आदेशानुसार नामान्तकरण संख्या 657 दिनांक 22/11/2011 मृत्तक विशनलाल के हक में स्वीकार किया गया था। जमाबन्दी सम्वत 2067 लगायत 2070 में विशनलाल के नाम का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2067 लगायत 2070 व नामान्तकरण संख्या 657 की प्रति पेश है। प्रार्थीगण के पिता/पति मृत्तक विशनलाल को 2.43 हैक्टर भूमि ग्राम परेही के आराजी खसरा नम्बर 342 मिन को जरिये बयनामा खरीद किया था किन्तु न्यायालय में मुकदमा होने के कारण आराजी मुतदाविया में कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 07/07/2011 के अनुसरण में विशनलाल

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

पुत्र मोतीलाल जाति वैश्य निवासी परेही के नाम आराजी मुतदाविया दर्ज स्वीकार होकर सम्वत 2067–2070 की जमाबंदी में लाल स्याही से दाखिल खारिज का नोट भी अंकित कर दिया गया था। उक्त नामान्तकरण का अमल मिसल बंदोबस्त में होना शेष था किन्तु माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 17/11/2011 द्वारा पुनः यथास्थिति के आदेश पारित होने के कारण भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा कोई भी अमल नहीं किया गया था। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व खातेदारान के नामों का अंकन है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा रिट पिटीशन अपने निर्णय दिनांक 08/05/2024 को खारिज की जा चुकी है आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी न्यायालय का स्थगन या स्टे नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण विशनलाल की मृत्यु के बाद हल्का पटवारी के पास गये और विरासत का दाखिल खारिज दर्ज करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने तहसीलदार जुरहरा से आदेश कराकर लाने को कहा प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार जुरहरा को भी दिया लेकिन उनके द्वारा कोई भी प्रभाव पूर्ण कार्यवाही नहीं की गई और सक्षम न्यायालय से आदेश लाने बाबत कहा है। उक्त अशुद्धि एवं दुरूस्ती का प्रकरण भू–प्रबन्धक विभाग से पूर्व का होने के कारण नामान्तकरण संख्या 657 का हाल जमाबन्दी में अमल माननीय न्यायालय के आदेश से ही किया जाना संभव है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी मुतदाविया साविक खसरा नम्बर 342 मिन रकबा 2.43 हैक्टर नया खसरा नम्बर 487 बांके ग्राम परेही पर मृत्तक विशनलाल पुत्र मोतीलाल जाति वैश्य निवासी परेही तहसील जुरहरा के वारिसान/प्रार्थीगण के नामों का अंकन नामान्तकरण संख्या 657 के अनुसार नये राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी तहसीलदार जुरहरा द्वारा उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी के संबध में अपने पत्र क्रमांकः–रीडर/025/31 दिनांक 16/01/2025 से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें नामान्तकरण संख्या 657 दिनांक 22/11/2011 खसरा नम्बर 342 मिन/2.43 हैक्टर बांके ग्राम परेही तहसील जुरहरा का हाल जमाबन्दी में अमल हेतु आवेदन किया है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2067–70 के खाता संख्या 111 के अनुसार साविक आराजी खसरा नम्बर 342मिन रकबा 2.43 हैक्टर बिशन लाल पुत्र मोतीलाल जाति वैश्य साकिन देह खातेदार, 342 मिन/0.43 हैक्टेयर रहमत पुत्र छोटा कौम मेव साकिन देह एलोटी, 342मिन/1.94 हैक्टेयर मकबूजा सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णय दिनांक 27/07/2011 एवं श्रीमान तहसीलदार (भू0अ0) कामाँ के आदेश क्रमांक 11/3775 दिनांक 22/11/2011 की पालना में आराजी खसरा नम्बर 342 मिन/2.43 हैक्टर विशन लाल पुत्र मोतीलाल कौम वैश्य साकिन देह खातेदार, 342मिन/0.43 हैक्टर रहमत पुत्र छोटा कौम मेव साकिन देह एलोटी, 342 मिन/1.94 हैक्टर मकबूजा सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ। माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के आदेश दिनांक 17/11/2011 की पालना पर जमाबन्दी संवत 2067–70 के खाता संख्या 111 पर लाल स्याही से स्थगन का आदेश अंकित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के स्थगन आदेश एवं रिट विचाराधीन होने के कारण भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दिनांक 17/11/2011 से पूर्व कि स्थिति को बहाल रखा गया अर्थात मिसल बन्दोबस्ती में किसी प्रकार का अमल नहीं किया गया। नामान्तरण संख्या 657 दिनांक 22/11/2011 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 342 मिन/2.43 हैक्टेयर वाके ग्राम परेही विशन लाल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

मोतीलाल कौम वैश्य साकिन देह खातेदार, 342 मिन/0.43 हैक्टर रहमत पुत्र छोटा कौम मेव साकिन देह एलोटी, 342 मिन/1.94 हैक्टेयर मकबूजा सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ है। वर्तमान में उक्त आराजी खसरा नम्बर साविक 342 मिन/2.43 हैक्टर, 342 मिन/0.43 हैक्टर, 342 मिन/1.94 हैक्टर या हाल आराजी खसरा नम्बर 487 रकबा 4.80 हैक्टर बांके ग्राम परेही पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है। आराजी खसरा नम्बर साविक 342 मिन/2.43 हैक्टर, 342 मिन/0.43 हैक्टर, 342 मिन/1.94 हैक्टर (हाल आराजी खसरा नम्बर 487 रकबा 4.80 हैक्टर) पर मुताबिक नामा0संख्या 657 दिनांक 22/11/2011 का अमल हाल जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 222 पर दर्ज समस्त खातेदार अ0वि0 मालिकान खातेदार के स्थान पर विशन लाल पुत्र मोतीलाल कौम वैश्य साकिन देह खातेदार खसरा नम्बर 342 मिन/2.43 हैक्टर, रहमत पुत्र छोटा कौम मेव साकिन देह एलोटी खसरा नम्बर 342 मिन/0.43 हैक्टर, मकबूजा सरकार आराजी खसरा नम्बर 342 मिन/1.94 हैक्टर दर्ज किया जाना उचित होगा।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि आराजी मुतदाविया साविक खसरा नम्बर 342 मिन/2.43 बांके ग्राम परेही पर मृतक विशन लाल पुत्र मोतीलाल कौम वैश्य निवासी परेही के वारिसान/प्रार्थीगण के नामों का अंकन नामान्तकरण संख्या 657 के अनुसार नये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे तथा तहसीलदार जुरहरा से प्राप्त रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर साविक 342 मिन/2.43 हैक्टर पर मुताबिक नामान्तकरण संख्या 657 दिनांक 22/11/2011 का अमल हाल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 222 पर दर्ज समस्त खातेदार अ0वि0 मालिकान खातेदार के स्थान पर विशन लाल पुत्र मोतीलाल जाति वैश्य निवासी परेही साविक खसरा नम्बर 342 मिन/2.43 हैक्टर साकिन देह खातेदार दर्ज किये जाने के अभिशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जुरहरा की मौका रिपोर्ट व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मृतक विशन लाल पुत्र मोतीलाल जाति वैश्य निवासी परेही हाल निवासी कल्याण मौहल्ला कामाँ तहसील कामाँ की विरासत की जाँच कर प्रार्थीगण का नाम नवीन राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार जुरहरा को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग)

रीडर
21/1/2025

ntdr.jurhera@rajasthan.gov.in

कार्यालय तहसीलदार – तहसील जुरहरा (डीग) राज०

क्रमांक:- रीडर / 025 / 31

दिनांक:- 16-1-025

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

कामां (डीग) राज०

विषय:- प्रार्थना – पत्र 136 एल आर एक्ट उनवानी शकुन्तला देवी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जुरहरा में जबाब प्रस्तुत करने बावत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तार्गत निवेदन है कि जाँच रिपोर्ट पटवारी हल्का उचेडा के आधार पर मौका व राजस्व रिकार्ड के अनुसार तहसीलदार जुरहरा में एल. आर . एक्ट 136 के जरिये न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कामां के यहा ना. सं. 657 दिनांक 22-11-2011 खसरा न. 342 मिन. /2.43 हैक्ट० का हाल जमाबन्दी में अमल हेतु आवेदन किया है जिसका बिन्दुबार विवरण निम्न प्रकार है ।

1. यह है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2067-70 के खाता संख्या 111 के अनुसार साबिक आ. ख. नं. 342 मि. / 2.43 हैक्ट० बिशन लाल पुत्र मोतीलाल जाति वैश्य सा. देह खातेदार 342 मिन / 0.43 हैक्ट. रहमत पुत्र छोटा कौम मेव सा. देह एलोटी, 342 मिन / 1.94 हैक्ट० मकबूजा सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड था ।
2. यह है कि माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णय दिनांक 27/07/2011 एवं श्रीमान तहसीलदार (भू.अ.) कामां के आदेश क्रमांक / भू. अ./ 11 /3775 दिनांक 22-11-2011 की पालना में आ. ख. नं. 342 मि. / 2.43 हैक्ट० विशनलाल पुत्र मोतीलाल कौम वैश्य सा. देह खातेदार 342 मि. / 0.43 हैक्ट० रहमत पुत्र छोटा कौम मेव सा. देह एलोटी 342 मि. / 1.94 हैक्ट. मकबूजा सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ ।
3. यह है कि माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के आदेश दिनांक 17-11-2011 की पालना पर जमाबन्दी जमाबन्दी सम्वत 2067-70 के खाता स. 111 पर लाल स्याही से स्थगन आदेश अंकित किया गया । माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के स्थगन आदेश एवं रिट विचारधीन होने के कारण भू. प्रबन्ध

ntdr.jurhera@rajasthan.gov.in

विभाग द्वारा दिनांक 17-11-2011 से पूर्व की स्थिति को बहाल रखा गया अर्थात मिसल बन्दोबस्त में किसी प्रकार का अमल नही किया गया।

4. यह है कि नामा. सं. 657 दिनांक 22-11-2011 के अनुसार आ.ख.नं. 342 मि./ 2.43 हैक्ट. वाके ग्राम परेही विशनलाल पुत्र मोतीलाल कौम वैश्य सा. देह खातेदार 342 मि. / 0.43 रहमत पुत्र छोटा कौम मेव सा. देह एलोटी 342 मि. / 1.94 हैक्ट. मकबूजा सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ है।

5. यह है कि वर्तमान में उक्त आ. ख. नं. साबिक 342 मि. / 2.43 हैक्ट० 342 मिन / 0.43 हैक्ट० 342 मिन / 1.94 हैक्ट० या हाल आ. ख. नं. 487 रकबा 4.80 हैक्ट० वाके ग्राम परेही पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

6. यह है कि आ. ख. 342 मिन / 2.43 हैक्ट, 342 मिन /0.43 हैक्ट, 342 मिन / 1.94 हैक्ट. (हाल आ.ख.नं. 487/4.80 हैक्ट.) पर मुताबिक नामा. सं. 657 दिनांक 22-11-2011 का अमल हाल जमाबन्दी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 222 पर दर्ज समस्त खातेदार अ. विव. मालिकान खातेदार के स्थान पर विशनलाल पुत्र मोतीलाल कौम वैश्य सा. देह खातेदार ख. नं. 342 मिन/ 2.43 हैक्ट. रहमत पुत्र छोटा कौम मेव सा. देह एलोटी खसरा नं. 342 मिन / 0.43 हैक्ट., मकबूजा सरकार आ. ख. नं. 342 मिन रकबा 1.94 हैक्ट. दर्ज किया जाना उचित होगा।

रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर पेश है।

तहसीलदार
तहसील जुरहरा